पिछड़ों को सत्ता का हक न मिलने का मलाल भाजपा का बिगाड़ेगा खेल!

करनाल (जेके शर्मा) हरियाणा में भाजपा सरकार में पूरी भागीदारी न मिलने से अतिपिछड़े समाज के लोगों में भाजपा के प्रति रोष उभरने लगा है। इस रोष को भाजपा द्वारा यूपी चुनाव को जीतने के लिए केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में पिछड़े वर्ग के 27 मन्त्रियों को शामिल करने के प्रचार ने उबाल दिया। माना जा रहा है कि भाजपा ने यूपी के चुनाव को अपने पक्ष में करने की मंशा से ओबीसी समाज के 27 नेताओं को मन्त्रिमण्डल में जगह प्रदान कर जनता में इसका प्रचार शुरू किया। भाजपा ने यूपी में ओबीसी वर्ग को भाजपा के पाले में खड़ा करने की मंशा से न केवल ओबीसी समाज के इतने लोगों को मन्त्री पद से नवाजा, बल्कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी को अपने आपको पिछड़े समाज का बताने का दाव भी खेला। चुनाव जीतने के हथियार के रूप में अपने आपको पिछड़े वर्ग की हितैषी दिखाने की भाजपा की इस रणनीति ने हरियाणा में अति पिछड़े समाज के लोगों के मन में पीड़ा भर दी है। हरियाणा में अति पिछड़े वर्ग के दो विधायक विधानसभा में चुनाव कर गए। इन्द्री के विधायक रामकुमार कश्यप और हिसार जिले से विधायक रणबीर गंगवा इस समय विधानसभा में अति पिछड़े समाज के प्रतिनिधि के रूप में पहुंच पाए हैं, लेकिन इनमें किसी को भी मन्त्रिमण्डल में जिम्मेदारी नहीं मिली। रणबीर गंगवा को विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पद से जरूर नवाजा गया, परन्तु इस पद को महज दिखावटी माना जाता है। मन्त्रिमण्डल में मुख्यमन्त्री के बाद कैबिनेट मन्त्री को ही अहम् गिना जाता है। ऐसे में अति पिछड़े वर्ग के लोगों को मन्त्रिमण्डल में कैबिनेट मन्त्री का प्रतिनिधित्व न मिलने से इस समाज के लोग अपने आपको उपेक्षित मान रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि कैबिनेट मन्त्री अपने समाज के लोगों की आवाज को प्रभावी ढ़ंग से उठाकर उनके हकों की पैरवाई कर सकता है। सभी समाज के लोगों को हिस्सेदारी देने की सोच के तहत भी अति पिछड़े समाज के लोगों की मन्त्रिमण्डल में हिस्सेदारी बनती है। देखा जाए तो विधायक रामकुमार कश्यप का प्रदेश मन्त्रिमण्डल में हक बनता है, क्योंकि रामकुमार कश्यप ने धारा 370 को खत्म करने में राज्यसभा का सदस्य होने के नाते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी और गृहमन्त्री अमित शाह के कहने पर साथ दिया था। उस समय इस मसले पर साथ देने के लिए रामकुमार को पूरा भरोसा भी दिलाया गया था। बताते है कि उस समय दूसरे दलों के 8 सांसदों के इस मसले पर भाजपा के साथ खड़े होने वाले रामकुमार कश्यप को छोडअहम् पद दे दिए। हालांकि भाजपा ने रामकुमार कश्यप के इस एहसान के बदले अति पिछड़े समाज के तत्कालीन राज्यमन्त्री कर्णदेव काम्बोज का इन्द्री से टिकट काटकर उन्हें इन्द्री से भाजपा टिकट देने के ईनाम से नवाजा जरूर था, लेकिन मन्त्री बनाकर उन्हें पूरा सम्मान देने के द्वार अभी नहीं खोले। वैसे पिछली सत्तासीन पार्टियों ने अति पिछड़े समाज को नज़रअंदाज नहीं किया। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के दूसरे शासनकाल में अति पिछड़े समाज के लोगों की इस उपेक्षा ने इस समाज के लोगों के मन में उपेक्षा का दायरा बढने की अंशकाओं को जन्म दे दिया है।

वैसे ही जनसंख्या के हिसाब से यदि हिस्सेदारी देने के दावे का आंकलन किया जाए तो सन 1931 की जाति संख्या जनगणना के आधार पर पिछड़े समाज के लोगों की जनसंख्या 52 प्रतिशत मानी गई तथा इस वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई। इस वर्ग को वीपीसिंह सरकार में 27 प्रतिशत आरक्षण देने का कदम उठाया गया। देखा जाए तो 1931 की जनगणना के बाद अब तक करीब चार गुणा जनसंख्या बढ़ चुकी है। उस समय की जनसंख्या 36 करोड़ मानी गई और अब देश की जनसंख्या लगभग 138 करोड़ बताई जा रही है। जनसंख्या को आधार माने तो अति पिछड़े समाज के लोगों की पहले से अधिक हकों की भागीदारी बनती है।

राजनीति के विद्वान पण्डित डॉ. रामजी लाल का कहना है कि राजनैतिक दलों के संचालकों की अति पिछड़े समाज के लोगों को शासन-प्रशासन में जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी की सोच संकुचित है। इतना ही नहीं राजनैतिक दलों में अहम् पद देने में भी अति पिछड़े समाज के लोगों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव होता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के नेता दबे कुचले समाज के लोगों को वोट के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में तो सबसे आगे खड़े हो जाते है तथा शासन-प्रशासन में हिस्सेदारी देने में उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सियासी दल संचालकों की येही सोच ही दबे, कुचले और शोषित-वंचित समाज के लोगों के मन में रोष का कारण बनता है। राजनीति दलों के संचालकों को कमजोर वर्ग के लोगों को केवल वोट के रूप में इस्तेमाल करने की सोच को बदलना होगा, वरना इस वर्ग की जनता अपने हकों के लिए लामबंद होकर सत्ता पर काबिज होने के रास्ते पर चलने के लिए भी विवश हो सकती है। उन्होंने कहा कि पिछड़े और दलित यदि उपेक्षा के खिलाफ एकजुट हो गए तो फिर इन दोनों वर्ग के लोगों के हाथ से सत्ता कोई नहीं छीन पाएगा।

खाली बातों से दबे-कुचले समाज का भला नहीं होगा। उन्हें उनके पूरे हक देने होंगे। यदि भाजपा को सत्ता पर काबिज रहने की सोच साकार करना है तो उसे अति पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को अधिक सम्मान देकर चलना पड़ेगा। ताकि उन्हें यह लगे कि भाजपा केवल वोट बैंक के रूप में ही नहीं वास्तविक रूप से भी उन्हें मान-सम्मान दे साथ लेकर चलती है।

समझने वाली बात यह है कि किसी जाति विशेष के किसी ठोडे को मंत्री बना देने मात्र से उस वर्ग का भला नहीं हो जाता। यदि ऐसे भला होने लगता तो मोदी के प्रधानमंत्री बनने से सारे पिछड़े वर्ग का भला हो जाता, मायावती के मुख्यमंत्री बनने से यूपी के तमाम दलितों का उद्धार हो गया होता।

मेघालय के गवर्नर सतपाल....

पेज एक का शेष

आवाज़ उठाने का यह उनका पहला मौका नहीं है। इस से कुछ माह पहले भी वे इस मसले पर अपनी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। इतना ही नहीं, आन्दोलन को खुला समर्थन देने के लिये पिछले दिनों वे अपने गांव हिसावडा ज़िला बागपत भी आये थे और स्पष्ट कहा था कि वे भी किसान है और किसान भाइयों में ही तो उन्हें रहना है। जाहिर है दूर बैठ कर समर्थन देना और किसानों के बीच शारीरिक रूप से हाजिर होकर अपना समर्थन देने में काफ़ी अन्तर होता है। इसी अन्तर को दूर करने के लिये मलिक शिलांग से अपने गांव तक आये थे ताकि किसी को, किसानों के प्रति उनकी निष्ठा पर कोई संदेह न रह जाये।

पाठकों के सामने अब दो ऐसे गवर्नर रख दिये गये हैं जो अपने आप को किसान समुदाय से होने का दावा करते हैं। वह बात अलग है कि दोनों ने ही जीवन भर किसान समुदाय की राजनीति करते हुए समय-समय पर सत्ता की मलाई खूब खाई है।

इसके बदले में ऐसा कोई काम नज़र नहीं आता जिससे कभी किसानों का कोई भला हुआ हो। किसान जरूर इतना भोला है कि कोई ज़रा सी भी मीठी बात उसके हक में कह दे तो वह उसका मुरीद हो जाता है। इस बात की पूरी समझ मलिक को है। उनके द्वारा किसानों को दिये इस समर्थन का बदला किसान आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें सांसद बना कर चुकायेंगे। जाहिर है जब मलिक जैसी सोच के लोग लोकसभा पहुंचेंगे तो भाजपा की बजाय सरकार भी किसी अथवा किन्ही अन्य दलों की बनेगी; ऐसे में मलिक का केन्द्रीय मन्त्री बनना तय माना जा सकता है। इसी को तो कहते हैं राजनीतिक शतरंज के माहिर खिलाड़ी जो समय रहते अपनी सही चाल चल दे वही इस खेल में जीतता है।

दूसरी ओर जगदीप धनखड़, कुछ दिनों की गवर्नरी के बाद कहां जायेंगे? लूट-खसूट की दौलत के बल पर वे दिल्ली या लंदन में तो जरूर रह सकते हैं लेकिन अपने गांव के ग्रामीण भाइयों के बीच चौपाल पर तो क्या चढ पायेंगे, गांव तक में घुसना दूभर हो जायेगा।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।**
2. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
3. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।**
4. **जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207**
5. **राम खिलावन-बल्लभगढ़ बस स्टैंड के सामने 9891164794**
6. **मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919**
7. **सुरेन्द्र बघेल - बस अड्डा होडल - 9991742421**

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर इसकी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या-451102010004150

IFSC Code : UBIN0545112

Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

लाठीचार्ज के विरोध में किसानों...

पेज एक का शेष

बदल रही है। लोगों में सत्तासीनों का विरोध तेज करने पर बल दिया जा रहा है। दूसरी तरफ किसानों पर लाठीचार्ज के चलते सत्ता में भागीदार जेजेपी के नेता एवं पदाधिकारी भी सरकार की नीतियों एवं निर्णयों के खिलाफ आग उगलने लगे हैं।

किसानों से मिलने पहुंचे गुरनाम सिंह ने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज के आरोपी अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज होने चाहिए। ऐसा नहीं करने पर सोमवार को कठोर कार्रवाई करने पर विचार किया जायेगा।

भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि इस आंदोलन के दौरान खट्टर सरकार ने 5 बार लाठीचार्ज करके किसानों के सिर फोड़े, हड्डियां तोड़ी हैं। जहां यह घटना हुई वह जगह शहर से 15 किलोमीटर दूर है। सीएम का कार्यक्रम भी वहां से 15 किलोमीटर दूर था। बसताड़ा टोल पर किसानों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, जिससे उन पर लाठीचार्ज किया जाता। एक-एक आदमी को 50-50 लठ मारे गए। ऐसा सरकार ने किसानों से बदला लेने के लिए किया है। ये कोई ऐसी घटना नहीं है, जहां मजबूरी में लाठीचार्ज हुआ हो। यहां केवल पीटने के लिए ऐसा किया गया है।

चढुनी ने कहा कि सिर फोड़ने का आदेश देने वाला युवा एसडीएम करनाल शहर में तैनात था, जहां खट्टर को आना था। वहां से करीब 15 किलोमीटर दूर बसताड़ा टोल पर सिर फोड़ने वाली पुलिस व डयूटी मैजिस्ट्रेट अलग से थे। इसी से सिद्ध हो जाता है कि एसडीएम सिन्हा ने उक्त सिर फोड़ने का आदेश अपनी और से नहीं दिया था। बल्कि यह सब राज्य सरकार की 'किसानों को सबक सिखाओ' नीति के तहत ही किया गया था। इसकी पुष्टि खट्टर के उस बयान से भी होती है। जिसमें वह सिर फोड़ने की कार्रवाई को तो सही ठहराते हैं लेकिन एसडीएम द्वारा बोले गये शब्दों को गलत बताते हैं।

इसके अलावा पुलिस वालों में हरजिंद्र सिंह, कुलबीर सिंह, गुरजीत सिंह की पहचान किसानों ने की है। इन्होंने जानबूझकर किसानों को पीटा। किसानों को डराने के लिए उनकी गाडियां तोड़ी गई हैं। इस गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। सरकार कानून बनाती है कि जनता यदि किसी सार्वजनिक प्रोपर्टी का नुकसान करती है तो उसकी भरपाई तोड़-फोड़ करने वालों से की जायेगी। वही फार्मूा यहां पर अपनाते हुए पुलिस कर्मियों द्वारा तोड़ी गयी किसानों को गाड़ियों का हर्जाना तोड़फोड़ करने वाले पुलिसियों से वसूला जाये।

दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने पत्रकार वार्ता कर लाठीचार्ज को मजबूरी में किया गया कदम बताकर किसानों के सिर ही दोष मढ़ दिया। डीसी निशांत कुमार व एसपी गंगाराम पूनिया ने कहा कि किसानों की तरफ से पुलिस पर हमला किया गया। बार बार चेतावनी के बाद भी हमले बंद नहीं हुए। बचाव में पुलिस को ऐसे कदम उठाने पड़े। यह सरासर झूठ है।

कृष्ण-भक्त विकास अरोड़ा....

पेज एक का शेष

न्यायाधीश भी नहीं दे सकता। इसके लिये केवल महकमे वालों की नीयत साफ होनी चाहिये।

आशा की जाती है कि ज़िले में मौजूद करीब दर्जन भर क्राइम यूनिटें अपराधियों से सांठ-गांठ करने के अपेक्षा अपराध एवं अपराधियों को नियंत्रित करने की ओर ध्यान देंगी। अभी तक ये यूनिटें शहर की गलियों में अधिकृत शराब की दुकानों, सट्टे व जुए के ठिकानों को सूंघते फिरते हैं। इसके अलावा स्क्रैप डीलरों से नियमित उगाही करना भी ये अपना कानूनी अधिकार समझते हैं। इनकी इस ऊर्जा को अपराध नियंत्रण की ओर मोड़ा जाय तो बेहतर परिणाम निकल सकते हैं। दरअसल, समझने वाली बात ये है कि जो पुलिसकर्मी पैसे देकर तैनाती पायेगा और उसके बाद नियमित भुगतान अपने आकाओं को करता रहेगा तो लूट-मार तो वह करेगा ही। आशा है कि कृष्णभक्त अरोड़ा इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास तो करेंगें ही।